रजिस्ट्री सं० डी०--(डी० एन०)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30 नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1986 (श्रावण 4, 1908)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1986 (SRAVANA 4, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	511
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	811
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1085
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	21437
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	461
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	--
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1307
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	111
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—161GI/86

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	511
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	811
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1085
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	21437
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	461
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1307
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	111
PART V—Supplement showing Statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1986

सं० 53-प्रेज/86--राष्ट्रपति, बिहार प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुमार अमर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस थाना--विक्रम,
जिला पटना।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

17 जनवरी, 1983 को पुलिस थाना विक्रम के प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक कुमार अमर सिंह को, 20/25 शातिर अपराधियों को डकैती डालने के उद्देश्य से पोखनपुरा गांव में इकट्ठा होने के बारे में सूचना मिली। श्री सिंह, तीन उप-निरीक्षकों तथा एक सहायक उप-निरीक्षक के साथ तुरन्त एक जीप में रवाना हुए और विक्रम दुल्हिन बाजार मार्ग पर मशौली गांव के नजदीक जीप को छोड़कर पैदल पोखनपुरा गांव की ओर चल पड़े। पुलिस दल ने लगभग 50 गज रास्ता ही तय किया था कि जब उन्होंने टार्च की रोशनी को देखा और अनुमान लगाया कि अपराधी पोखनपुरा की तरफ से आ रहे हैं थे। श्री सिंह ने भी गिरोह पर अपनी टार्च की रोशनी फेंकी और 20/25 अपराधियों को लाठी, भाले और पिस्तौल इत्यादि से लैस देखा। उन्होंने, अपराधियों को ललकारा, किन्तु गिरोह के सरदार ने तुरन्त श्री कुमार अमर सिंह पर गोली चलाई और उन्हें घायल कर दिया। श्री अमर सिंह ने सशस्त्र आक्रमण के बावजूद, पुलिस दल को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। उन्होंने भी खेत की बाजू के पीछे मोर्चा संभालने की कोशिश की परन्तु डाकू ने उन पर गोली चलाई और उनकी दाहिनी जांघ में गोली से घाव हो गया। फिर भी, आक्रमण से निर्भीक, वे आगे बढ़े और अपने सर्विस रिवाल्वर से अपराधियों पर एक गोली चलाई। टार्च की रोशनी में उन्होंने एक डाकू को गिरते हुए तथा अन्य डाकुओं को भागते हुए देखा। पुलिस दल ने भागते हुए डाकुओं का पीछा किया परन्तु कोई और गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

इस मुठभेड़ में, श्री कुमार अमर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी, 1983 से दिया जाएगा।

सं० 54-प्रेज/86--राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री दौलत सिंह,
उप निरीक्षक संख्या 640070086,
23वीं बटालियन, के० रि० पु० ब०,
(जहानाबाद कैम्प)

श्री सुभाष चन्द,
लांस नायक सं० 690232024,
23 वीं बटालियन, के० रि० पु० ब०,
(जहानाबाद कैम्प)

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

11 जनवरी, 1985 को उप-निरीक्षक दौलत सिंह, लांस नायक सुभाष चन्द तथा अन्य को जहानाबाद के एक ट्रक ड्राईवर ने रोका जब वे एक सिविल बस से वापस लौट रहे थे। ट्रक ड्राईवर ने उप-निरीक्षक दौलत सिंह को सूचित किया कि निहालपुर में 15 डाकुओं के गिरोह ने डकैती डालने के लिये वाहनों को रोकने के लिये सड़क पर नाकेबन्दी कर रखी है। श्री दौलत सिंह ने ट्रक-ड्राईवर को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संरक्षण में आगे बढ़ने के लिये राजी किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को डाकुओं की उपस्थिति तथा उनके साथ मुठभेड़ की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई को संक्षेप में बताया। वे, दो पुलिस कार्मिकों के साथ ट्रक-ड्राईवर के केबिन में बैठे और आगे बढ़े। जैसे ही वे नाकेबन्दी के स्थान पर पहुंचे, एक डाकू सामने आया और चिल्लाकर ट्रक को रोकने और लाइट बुझाने के लिये कहा। वह केबिन में खिड़की के पास बैठे दौलत सिंह पर अपनी राईफल से निशाना लगाते हुए टूट पड़ा। श्री दौलत सिंह ने उसकी राइफल की नाल पकड़ ली और उसे छीनने की कोशिश की। डाकू ने पूरी ताकत से बन्दूक को छीने जाने से रोका। राइफल पर काबू पाने का यत्न करते हुए डाकू चिल्लाया और अपने साथियों को बुलाया। तुरन्त, उसके साथियों ने सड़क से लगभग 20-30 गज दूर स्थिति सम्भाल ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री दौलत सिंह ने लांस नायक सुभाष चन्द को डकैत पर गोली चलाने का निर्देश दिया। श्री सुभाष चन्द ने कार्रवाई की और डकैत पर दो राउंड गोलियां चलाई जो खड्डे में गिरकर मर गया। श्री दौलत सिंह तथा श्री सुभाष चन्द अन्य कार्मिकों के साथ ट्रक से नीचे कूदे और डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं द्वारा चलाई गई एक गोली श्री सुभाष चन्द की राइफल पर लगी और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। इसके बावजूद वे भागते हुए डाकुओं का पीछा करते रहे। डाकुओं ने अंधेरे का लाभ उठाया और भागते हुए गायब हो गये। बाद में मृत डाकू की शिनाख्त पर मालूम हुआ कि वह सीता राम यादव है। डाकुओं से एक पिस्तौल .315 कैलिबर जिसके चेम्बर में एक राउंड था तथा एक .315 कैलिबर राइफल तथा 4 राउंड बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में, श्री दौलत सिंह, उप-निरीक्षक, तथा श्री सुभाष चन्द, लांस नायक ने उत्कृष्ट, वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जनवरी, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 55--प्रेज/86--राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हीरालाल डे,
पुलिस उप-निरीक्षक,
गुवाहाटी, असम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

10 मई, 1985 को सूचना प्राप्त हुई कि मितापुखुरी यूनिट के यूनाइटेड कामर्शियल बैंक में सशस्त्र डकैती डाली गई है। अपराधियों के गिरोह ने तीन राउण्ड गोलियां चलाई और बैंक के मैनेजर को मार डाला। गिरोह ने बैंक से लगभग 25,000/- रु० लूटे और एक किराये की टैक्सी में लूट का माल लेकर भाग गये। शहर के गश्ती वाहनों तथा गश्ती दलों को तत्काल सावधान कर दिया गया था।

उप निरीक्षक हीरालाल डे, ने, जो एक ट्रैक्टर में चलती-फिरती गश्त पर थे, टैक्सी का पीछा किया। यह बोध होने पर कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, अपराधियों ने वाहन को छोड़ना बेहतर समझा और पैदल भागने की कोशिश की। श्री हीरालाल डे ने टैक्सी के पीछे अपना ट्रैक्टर रोका और अपराधियों को पकड़ने के लिये नीचे उतरे। अपराधियों ने श्री डे पर कई राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि श्री डे निरस्त्र थे लेकिन वे पीछा करते रहे और एक सशस्त्र अपराधी को पकड़ने में सफल हो गये और उससे 10 राउण्ड गोला बारूद से भरी दो मैगजीनों सहित चीन निर्मित एम०-20 पिस्तौल बरामद की। बाद में अपराधी का शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि वह डिब्रूगढ़ जिले के मोरानहाट का रहने वाला था जो भूमिगत उग्रवादी संगठन यू० एल० एफ० ए० से संबंधित था और सशस्त्र लूटपाट और राजनैतिक हत्याओं में अन्तर्ग्रस्त था।

इस मुठभेड़ में, श्री हीरालाल डे, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 मई, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 56/प्रेज/86--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रसून कुमार घोष,
पुलिस उप-अधीक्षक,
वाराणसी।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

वाराणसी जिले के चोलापुर/चौबेपुर चुनाव क्षेत्र में 10 अप्रैल, 1982 को पंचायत राज के चुनाव के दिन शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिये एक पुलिस दल, जिसमें श्री प्रसून कुमार घोष, पुलिस उप-अधीक्षक, दो कांस्टेबल तथा क्षेत्रीय मैजिस्ट्रेट थे, इलाके का दौरा कर रहा था। जब पुलिस दल अपनी जीप में चौबेपुर थाने के भगुआ तिराहे के लिये देवरियां गांव की ओर रवाना हुआ, तो एक मोटर साइकल और एक स्कूटर पर सवार पांच व्यक्ति उन्हें सामने से आते दिखाई दिए। इन वाहनों के पीछे बैठे सवार राइफलें और डी० बी० बी० एल० बन्दूक लिए हुए थे। पुलिस उप-अधीक्षक ने उन्हें रुकने का संकेत किया। जैसे ही मोटर साइकल और स्कूटर रुके, कान्स्टेबलों सहित श्री घोष ने उन्हें सम्बोधित किया और तुरन्त उनसे राइफलें और डी० बी० बी० एल० बन्दूक छीन ली, जो भरी हुई थीं। अपराधियों को इन अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिखाने के लिये कहा गया, किन्तु इसके बजाए, अपराधियों ने छिपाई हुई अपनी पिस्तौलें निकाल कर पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दीं। गोलियों से दो कांस्टेबल घायल हो गये, जिनकी घावों के के कारण मृत्यु हो गई, किन्तु श्री घोष बाल-बाल बच गये। उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और उपद्रवियों से छीनी हुई राइफल से गोलियां चलाना शुरू किया और अपराधियों में से दो को मार गिराया तथा तीसरे को घायल कर दिया। शेष अपराधी "अरहर" के खेतों की आड़ लेकर बच निकले।

श्री प्रसून कुमार घोष, पुलिस उप अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अप्रैल, 1982 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001 दिनांक 20 जून 1986

सं० 4/5/86-आर०सी०सी०--श्री के० मदन्ना के 2 अप्रैल, 1986 को राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर समिति से त्यागपत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थान पर अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती अमरजीत कौर को रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों की पुनरीक्षा करने वाली समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत किया है।

के० एन० छाया, मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

उद्योग मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 जुलाई 1986

सं० 27/9/85-सी०एल०-2--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में भारत सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्त धारा 209-क के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत करती है:--

1. श्री वी० गोविन्दन,	संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)
2. श्री वी० पी० कपूर	उप निदेशक (लेखा)
3. श्री टी० वेलायुधन	संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)
4. श्री पी० टी० गजवानी	उप निदेशक (निरीक्षण)
5. श्री डी० के० पाल	निरीक्षण अधिकारी
6. श्री जी० श्रीनिवासन,	संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)
7. श्री एन० आर० श्रीधरण	उप निदेशक (निरीक्षण)
8. श्री ई० सेल्वाराज	सहायक निरीक्षण अधिकारी
9. श्री आर० के० अरोड़ा	उप निदेशक (निरीक्षण)
10. श्री एन० एम० गुप्ता	उप निदेशक (निरीक्षण)

जी० वेंकटरमणी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1986

सं० 18-6/85-एल०डी० I—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियमों और उपनियमों के अनुच्छेद 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की सदस्यता अवधि दिनांक 30-6-1987 तक बढ़ाने का निर्णय किया है :—

1. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द	अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा	सदस्य
3. श्री वी० एच० शाह, प्रबन्ध निदेशक, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन लि०, आनंद	सदस्य
4. बी०बी० महाजन, अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
5. श्री टी०सी०ए० श्रीनिवासारामानुजन, वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6. डा० आर०पी० अनेजा, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद	सदस्य

के० जी० कृष्णामूर्ती, उप सचिव

पर्यटन मंत्रालय

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1986

संकल्प

सं० 8-टी एल(32)/81—पर्यटक कार प्रचालकों को पर्यटकों के प्रयोग के लिए वाहनों को क्रय करने हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार के संकल्प संख्या 6-ए एच सी(6)/64, दिनांक 16 जनवरी, 1970 द्वारा यथा-स्वीकृत एक योजना दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात् भारत सरकार के संकल्प संख्या-vii-टी० एल०(1)/70, दिनांक 13 जुलाई, 1970, 14 जनवरी, 1971, 25 जुलाई, 1972, 10 जुलाई, 1974, 31 जुलाई, 1976, 21 अप्रैल, 1982 और 2 दिसम्बर, 1985 द्वारा योजना की शर्तों में कुछ छूटें प्रदान की गई थीं।

यह निर्णय लिया गया है कि समिति के अध्यक्ष के नामांकन में परिवर्तन कर दिया जाए। योजना में किए गए संशोधन इस संकल्प के अनुबंध में दिए गए हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेजी जाए और आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० के० सेनगुप्त, महानिदेशक पर्यटन और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

पर्यटन परिवहक वाहनों की किराया-खरीद संबंधी योजना के अनुदेशों में संशोधन

पैरा (3)—समिति का गठन

उप-पैरा (क) (i) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

अध्यक्ष (होटल और रेस्तरां अनुमोदन तथा वर्गीकरण समिति) पर्यटन विभाग	पदेन अध्यक्ष

उप-पैरे (ii) से (iii तक यथावत् रहेंगे।

उपर्युक्त संशोधन तत्काल लागू होगा।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th July 1986

No.53-Pres/86.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Kumar Amar Singh,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Bikram,
District Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 17th January, 1983 Sub-Inspector Kumar Amar Singh, Officer-in-Charge, Police Station Bikram received information about the assemblage of 20/25 hardened criminals in village Pokhanpura for the purpose of committing dacoity. Shri Singh, alongwith 3 Sub-Inspectors and 1 Assistant Sub-Inspector rushed in a jeep and left the jeep near village Manjhauli on Bikram Dulhin Bazar Road and moved on foot towards village Pokhanpura. Police party had covered about 50 yards when they saw flashes of torch light and surmised that criminals were coming from Pokhanpura side. Shri Singh also flashed his torch at the gang and saw about 20/25 criminals armed with Lathi, Bhala, Pistol etc. He challenged them, but the leader of the gang at once fired at Shri Kumar Amar Singh causing him gun shot injuries. Shri Kumar Amar Singh, despite the armed attack, ordered the Police party to take their positions. He also tried to take position behind the ridge of a field but the dacoit fired at him again and he got gun shot injuries on his right thigh. However, undaunted with the attack, he proceeded and fired one shot from his service revolver at the criminals. In the torch light he saw a dacoit falling down in the field, and the other dacoits took to their heels. The Police party chased the fleeing dacoits but no further arrest could be made.

In this encounter, Shri Kumar Amar Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th January, 1983.

No.54-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force —

Name and rank of the officer

Shri Daulat Singh,
Sub-Inspector No. 640070086,
23 Battalion, CRPF,
(Camp Jahanabad).

Shri Subhash Chand,
Lance Naik No. 690232024,
23 Battalion, CRPF,
(Camp Jahanabad).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th January, 1985, Sub-Inspector Daulat Singh, Lance Naik Subhash Chand and others, while returning in a civil bus were stopped by a truck driver of Jahanabad. The truck driver informed Shri Daulat Singh about the road block by a gang of 15 dacoits at Nihalpur to hold up vehicles for committing dacoity. Shri Daulat Singh persuaded the truck driver to proceed further with CRPF protection. He briefed all personnel regarding the presence of dacoits and action to be taken in case of encounter with them. He, alongwith two Police personnel sat in the truck driver's cabin and proceeded further. The moment they reached the blockade point, a dacoit appeared and shouted to stop the truck and to switch off the lights. He stormed his rifle into the cabin aiming at Shri Daulat Singh sitting next to the window. Shri Daulat Singh caught hold of the rifle from the barrel and tried to snatch it. The dacoit used his full force not to allow the rifle to be snatched. While grappling with the rifle the dacoit shouted and called his companions. Immediately, his companions took position about 20-30 yards from the road side and opened fire. Shri Daulat Singh directed Lance Naik Subhash Chand to fire at the dacoit. Shri Subhash Chand responded and fired two rounds at the dacoit, who fell down dead into the khud. Shri Daulat Singh and Shri Subhash Chand, alongwith other personnel, jumped from the truck and chased the dacoits. One of the bullets fired by the dacoits hit the rifle of Shri Subhash Chand shattering into mattle and wooden pieces. Despite this, he continued to chase the fleeing dacoits. The dacoits fled away and disappeared by taking advantage of darkness. The dead dacoit was later identified as Sita Ram Yadav. One Pistol .315 calibre with one round in the chamber, one .315 calibre rifle and 4 rounds were recovered from the dacoits.

In this encounter, Shri Daulat Singh, Sub-Inspector and Shri Subhash Chand, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th January, 1985.

No.55-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantary to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hiralal Dey,
Sub-Inspector of Police,
Guwahati,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th May, 1985 information was received that an armed dacoity had been committed in the United Commercial Bank, Silpukhuri Unit. The criminal gang fired three rounds and killed the Manager of the Bank. The gang looted amount of about Rs. 25,000/- from the Bank and decamped with the booty in hired Taxi. All the mobile patrol parties of the city were immediately alerted.

Sub-Inspector Hiralal Dey, who was on mobile patrolling in a trekker, chased the taxi. Realising that they were being chased by the Police, the criminals preferred to abandon the vehicle and tried to escape on foot. Shri Hiralal Dey stopped his trekker just behind the taxi and got down to apprehend the culprits. The culprits fired several rounds at Shri Dey. Although Shri Dey was unarmed, he continued his chase and succeeded in overpowering one of the armed culprits and recovered from him a China made M 20 pistol with two Magazines loaded with 10 rounds of ammunitions. The culprit was later identified as Mohikanta Hatibarua of Dibrugarh District belonging to the underground extremist organisation ULFA and was involved in the armed robberies and political murders.

In this encounter, Shri Hiralal Dey, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th May, 1985.

No.56-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Prasun Kumar Ghosh,
Deputy Supdt. of Police,
Varanasi (UP).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th April, 1982, the day of Panchayat Elecions in Cholapur/Chaubepur Consituency of District Varanasi, a Police party comprising of Shri Prasun Kumar Ghosh, Deputy Supdt. of Police two Constables and the Zonal Magistrate were patrolling the area to ensure peaceful polling. When the Police party proceeded towards village Deoria in their jeep for Bhaktua-tri-junction of Police Station Chaubepur, they noticed five persons coming from opposite direction on a Motor-cycle and scooter. The pillion riders of these vehicles were carrying rifles and DBBL gun. The Deputy Supdt. of Police signalled them to stop. As soon as the motor-cycle and the scooter stopped, Shri Ghosh, alongwith the Constables, accosted them and immediately snatched the rifles and DBBL gun which were found loaded. The culprits were asked to produce the licenses for these fire-arms, but instead, the culprits took out their concealed pistols and starting firing at the Police Party. In the course of firing the two Constables received bullet injuries and succumbed to their injuries, while Shri Ghosh had a very narrow escape. He kept his cool and started firing from the rifle snatched from the miscreants and gunned down two of the culprits and injured the third one. The remaining culprits escaped taking advantage of the 'Arhar' fields.

Shri Prasun Kumar Ghosh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th April, 1982.

S. NILAKANTAN,
Deputy Secretary to the President.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 20th June 1986

No. 4/5/86-RCC.—The Speaker has nominated Shrimati Amarjit Kaur to be Member of the Committee to review the rate of dividend payable by Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matter in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance in the vacancy caused by the retirement of Shri K. Maddanna on completion of his term as Member of Rajya Sabha on 2nd April, 1986.

K. H. Chhaya, Chief Financial Committee Officer

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd July 1986

No. 27/9/85-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise the following officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A :—

1. Shri V. Govindan, Joint Director (Inspn.).
2. Shri V. P. Kapoor, Deputy Director (Accounts).
3. Shri T. Velayuthan, Joint Director (Inspn.).
4. Shri P. T. Gajwani, Deputy Director (Inspection).
5. Shri D. K. Paul, Inspecting Officer.
6. Shri G. Srinivasan, Joint Director (Inspection).
7. Shri N. R. Sridharan Deputy Director (Inspection).
8. Shri E. Selvaraj, Assistant Inspecting Officer.
9. Shri R. K. Arora, Deputy Director (Inspection).
10. Shri L. M. Gupta, Deputy Director (Inspection).

G. VENKATARAMANI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPN.)

New Delhi-110-001, the 27th June 1986

No. 18-6/85-LD-I.—In exercise of powers conferred by Article 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board the Government of India have decided to extend the term of the following persons as Members of the National Dairy Development Board till 30-6-1987 :—

Chairman

(1) Dr. V. Kurien,
Chairman,
National Dairy Development Board,
Anand.

Members

(2) Managing Director,
Indian Dairy Corporation,
Baroda.

(3) Shri V. H. Shah,
Managing Director,
Kaira District Co-operative Milk
Producers' Union Ltd.,
Anand.

(4) Shri B. B. Mahajan,
Additional Secretary,
Department of Agriculture & Co-opn.,
New Delhi.

(5) Shri T. C. A. Srinivasaramanujan,
Financial Adviser,
Department of Agriculture & Co-opn.,
New Delhi.

(6) Dr. R. P. Aneja,
Secretary,
National Dairy Development Board,
Anand.

K. G. KRISHNAMOORTHY, Dy. Secy.

MINISTRY OF TOURISM

(DEPARTMENT OF TOURISM)

New Delhi, the 27th June 1986

RESOLUTION

No. 8-TL(32)/81.—A scheme to provide financial Assistance to tourist car operators for the purchase of vehicles for the use of tourists as sanctioned in Government of India Resolution bearing No. 6-A HC(6)/64, dated 16th January, 1970 was published in the Gazette of India dated the 31st January, 1970. Certain relaxations in the terms and conditions of the schemes were made subsequently vide Government of India Resolution No. VII-TL(1) 70, dated 13th July, 1970, 14th January, 1971, 25th July, 1972, 10th July, 1974, 31st July, 1976, 21st April, 1982 and 2nd December, 1985.

It has been decided to change the nomination of the Chairman of the Committee. The amendment to the Scheme is given in the annexure to this resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. K. SENGUPTA, Dir. Genl. of Tourism
and *ex-Officio* Addl. Secy.

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS FOR THE HIRE PURCHASE SCHEME OF TOURIST TRANSPORT VEHICLES

Para (3) *Constitution of the Committee*

In the Sub-para (a) (i) the following may be substituted :—

Chairman (HRACC)

Department of Tourism—*Ex-officio* Chairman

Sub-paras (ii) to (vi) will remain unchanged.

The above amendment will come into force immediately.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986